प्रेस-नोट

- मुक्त विद्यालय परीक्षा के लिए आवेदन फार्म भरने की बढ़ाई तिथि-बोर्ड अध्यक्ष

भिवानी, 18 जनवरी, 2022 : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा मुक्त विद्यालय की सैकेण्डरी तथा सीनियर सैकेण्डरी पूर्ण विषय(फ्रैश कैटेगरी/सी.टी.पी./रि-अपीयर/आंशिक अंक सुधार/पूर्ण विषय अंक सुधार/अतिरिक्त विषय) परीक्षा मार्च-2022 के लिए विलम्ब शुल्क 1000/- रू. सहित ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने की तिथि को बढ़ाकर 31 जनवरी, 2022 कर दिया गया है।

यह जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रो०(डॉ.) जगबीर सिंह एवं सचिव श्री कृष्ण कुमार, ह.प्र.से. ने आज यहाँ बताया कि हरियाणा मुक्त विद्यालय की सैकेण्डरी तथा सीनियर सैकेण्डरी पूर्ण विषय (फ्रैश कैटेगरी/सी.टी.पी./रि-अपीयर/आंशिक अंक सुधार/पूर्ण विषय अंक सुधार/अतिरिक्त विषय) परीक्षा के फार्म भरने के लिए 1000/- रू. विलम्ब शुल्क सहित 17 जनवरी, 2022 निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 जनवरी, 2022 कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी का हवाला देकर समय पर आवेदन न क़रने की अवस्था में किसी परीक्षार्थी को समय की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय केवल अपना, माता-पिता या भाई-बहन का ही मोबाइल नम्बर दर्ज करें, किसी कोचिंग सैन्टर या साईबर कैफे वाले का मोबाईल नम्बर दर्ज न करवाए, ताकि बोर्ड द्वारा छात्रहित के दृष्टिगत समय-समय पर बोर्ड द्वारा जो-जो जानकारियां/हिदायतें दी जाती है वे सीधे परीक्षार्थी तक पंहुच सके।

उन्होंने आगे बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने से सम्बन्धित आवश्यक दिशा-निर्देश/पूर्ण जानकारी बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध है। परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व दिशा-निर्देशों अनुसार समय रहते ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित कर लें। आवेदन/पंजीकरण की उक्त तिथियों से अभिप्राय है कि सफल पंजीकरण के साथ-साथ निर्धारित शुल्क का बोर्ड कार्यालय के निमित बैंक खाते में जमा होना।

उन्होंने बताया कि मुक्त विद्यालय की सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (फ्रैश कैटेगरी/ अतिरिक्त विषय) के लिये ऑनलाईन आवेदन करने वाले छात्र अपनी ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कापी एवं पास प्रमाण-पत्र की सत्यापित कापी दस्ती/पंजीकृत डाक द्वारा सहायक सचिव (मुक्त विद्यालय), हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हांसी रोड़, भिवानी-127021 के पते पर भिजवाना सुनिश्चित करें अन्यथा अनुक्रमांक जारी नहीं किया जायेगा।